इस उप समिति के कार्य के दायित्व इस प्रकार हैं:–

1. परिवार कल्याण योजनाओं के संचालन के दौरान स्थायी विधियों में हुई सभी मृत्यू के मामलों का चिकित्सकीय अंकेक्षण करना और राज्य गुणवता सुनिश्चितता समिति कार्यालय को रिपोर्ट भेजना।
2. नसबंदी के बाद हुई जटिलता से संबंधित सभी अस्पताल में भर्ती मामलों एवं नसबंदी विफलता पर जानकारी एकत्रित करना।
3. सभी स्थाई संस्थाओं अर्थात सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी/गैर सरकारी संगठन की मानकों के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण सेवा की समीक्षा करना और संस्था जो मानकों का पालन नहीं कर रहे है उन पर सुधारात्मक कार्यवाई की सिफारिश करना।
4. राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत प्रस्तुत मृत्यु, जटिलता एवं विफलता के मामलों की SQAC को आगे प्रस्तुत करने के लिए समीक्षा, रिपोर्ट और दावों के भुगतान हेतु प्रक्रिया करना। (विस्तृत प्रक्रियाओं का पालन करने हेतु कृपया " Family Planning Indemnity Scheme 2013, Ministry of Health & Family Welfare, GOI" मैनुअल का अवलोकन करें।)
5. ऐसे मामलें जहॉ संस्था नसबंदी से संबंधित मृत्यु का प्रतिवेदन करता है, DQAC के संयोजक SQAC के संयोजक को 24 घंटो के भीतर सूचित करेंगे। मृत्यू का अंकेक्षण DQAC द्वारा किये जाने की आवश्यकता है और उसका प्रतिवेदन राज्य एवं भारत सरकार को मौत की सूचना मिलने के बाद एक माह के भीतर किया जाना है।
6. "जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप समिति" आवश्यकतानुसार बैठक बुला सकती है।
7. कम से कम तीन सदस्य इस उप समिति की कोरम की पूर्ती कर सकते है।

डॉ पी.एन.एस. चौहान 10/1/14
संचालक, परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

कमांक/3/प.क/2014/33 भोपाल दिनांकः 10/01/14

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल
3. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, मध्यप्रदेश, भोपाल

संचालक, परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश